

## समिति के पंजीयन हेतु नियमावली

1. सोसायटी का नाम : राजिम क्रिकेट एसोसिएशन

2. इस संस्था कार्यालय का पता : SHOP NO 10, GOWARDHAN CHOWK, NEAR SBI BANK, TEHSIL-RAJIM, PO-RAJIM, DISTRICT GARIYABANDH 493885

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : जिला स्तर गारियाबंद

4 . संस्था का उद्देश्य:-

1. युवाओं में क्रिकेट, खेल कूद प्रशिक्षण देना
2. युवाओं के लिए क्रिकेट, वॉलीबॉल, चैस, कबड्डी आदि खेल के टूर्नामेंट का आयोजन करना
3. खेल कूद के द्वारा युवाओं को विसंगतियों एवं व्यसन से मुक्त करना
4. आदिवासी समाज एवं पिछड़े वर्ग के युवाओं को खेल कूद के माध्यम से मुख्यधारा में जोड़ना

5 . सदस्यता :- संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे :

(अ) संरक्षण सदस्य :- संस्था को जिस व्यक्ति द्वारा अभिदान के रूप में रुपये...25,000...एक मुश्त जमा जिया जावेगा, वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा ।

(ब) आजीवन सदस्य :- जिस व्यक्ति द्वारा संस्था को अभिदान के रूप में रुपये...15,000...जमा किया जावेगा, वह आजीवन सदस्य बनाया जा सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य अंतर की राशि रुपये...10,000... देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

(स) साधारण सदस्य :- जिस व्यक्ति द्वारा रुपये...100...माह रुपये ..1200...प्रतिवर्ष को अभिदान के रूप में जमा किया जावेगा, वह साधारण सदस्य बनाया जा सकेगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिए उसने अभिदान दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक अभिदान नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा अभिदान की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है ।

(द) सम्माननीय सदस्य :- संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो वह उचित समझे सम्माननीय सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उसको मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

6. सदस्यता की प्राप्ति :- प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा। प्रबंधकारिणी समिति को आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार होगा ।

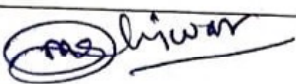
7. सदस्यों की योग्यता :- संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है भारतीय नागरिक हो ।

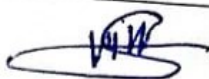
आयु 18 वर्ष से कम न हो ।

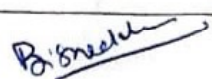
समिति के उद्देश्यों एवं नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो

सद् चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो ।

8. सदस्यता की समाप्ति :- संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी :-







मृत्यु हो जाने पर ।

पागल हो जाने पर ।

नियम 5 के अनुसार सोसाइटी को देय सदस्यता की रकम जमा करने में असफल रहने पर।

त्याग पत्र देने पर यदि स्वीकृत हो जाता है तो और

नैतिक अधमता से संबंधित किसी अन्य कारण के सिद्ध हो जाने पर और प्रबंधकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाकर निष्काषित करने पर तथा ऐसा निर्णय संबंधित सदस्य को लिखित में संसूचित किया जाना चाहिए।

9. सदस्यता पंजी :- संस्था कार्यालय में सदस्यों की पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेगे :-

प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, व्यवसाय ।

वह तारीख जिसमें सदस्यों को प्रवेश दिया हो व अभिदान जमा करने का रसीद नंबर ।

वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त की गई हो ।

सदस्यों के हस्ताक्षर ।

10. (अ) साधारण सभा :- साधारण सभा में नियम में 5 (अ) (ब) (स) दर्शाये अनुसार श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी परन्तु वर्ष में एक बार माह April में बैठक अनिवार्य होगी । बैठक की तिथि, स्थान व समय कार्यकारिणी समिति द्वारा निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को सूचना दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा :- प्रबंधकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाना आवश्यक होगा। यदि बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिये कोरम की कोई शर्त नहीं होगी ।

(स) विशेष :- समिति के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा किसी भी विषय पर विचार करने के लिए संस्था के विशेष बैठक बुलाने हेतु अध्यक्ष/सचिव को सदस्यों द्वारा अनुरोध पत्र दिया जावेगा, ऐसे आवेदन पत्र उल्लेखित विषय पर आमसभा आयोजित किया जाकर संकल्प पारित किया जावेगा। विशेष संकल्प पारित हो जाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य:-

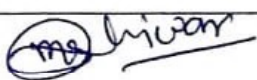
(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करन

(ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना

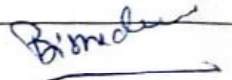
(ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना ।

(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो ।

(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना ।







12. प्रबन्धकारिणी का गठन :- नियम 5 (अ, ब, स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निर्मांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा :-

- ✓ 1. अध्यक्ष विशेष दुयानी  
2. उपाध्यक्ष  
✓ 3. सचिव, स्मिता कुमार गुप्ता  
✓ 4. कोषाध्यक्ष, विकास साहू  
5. संयुक्त सचिव एवं सदस्य

13. प्रबंध समिति का कार्यकाल :- प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। यथेष्ट कारण होने पर, उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार से नहीं हो जाता वर्तमान प्रबंध समिति कार्य करती रहेगी, किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14. प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य:-

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल-अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे

(च) संस्था की समस्त चल-अचल संस्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम रहेगी

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना क्रय/विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नहीं की जाएगी।

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

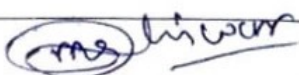
15. अध्यक्ष के अधिकार :- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव को साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन हेतु निर्देश जारी करेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

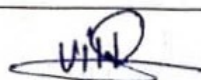
16. उपाध्यक्ष के अधिकार :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

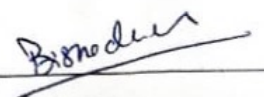
17. सचिव (मंत्री) के अधिकार :

साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना।

समिति की आय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।







समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना ।

सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रुपये 7000.00 व्यय करने का अधिकार होगा

18. संयुक्त सचिव के अधिकार :- सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा ।

19. कोषाध्यक्ष का अधिकार :- समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना ।

20. बैंक खाता:- संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी।

धन का आहरण अध्यक्ष या सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा । दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रुपये 5000.00 रहेगा ।

21. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :- अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप में शुल्क सहित कार्यकारिणी समिति की मूल हस्ताक्षरित सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था का आडिटेड लेखा नियत शुल्क के साथ पंजीयक को प्रस्तुत किया

22. संशोधन :- संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक के कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाए को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा । संस्था के विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव मय-नियत प्रारूप में शुल्क सहित प्रस्तुत की जायेगी ।

23. विघटन :- संस्था का विघटन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 3/5 से पारित किया जावेगा । विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी । उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी ।

24. सम्पत्ति :- संस्था की समस्त चल-अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी । संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाए की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी ।

25. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :- संस्था की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार के आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाए को बैठक बुलाने का अधिकार होगा । साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा ।

26. विवाद :- संस्था में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा । यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों पर संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा । संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा ।





